ANX— 4

प्रेषक,

श्री [illegible]
[illegible]
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 सामुदायिक केन्द्र
प्रीत विहार, नई दिल्ली ।

शिक्षा (7) अनुभाग

लखनऊ/दिनांक/ 19 अगस्त, 199[illegible]

विषय/- शैफाली पब्लिक स्कूल रेलवे रोड दादरी गाजियाबाद को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शैफाली पब्लिक स्कूल रेलवे रोड दादरी गाजियाबाद को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किये जाने में राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

(1) विद्यालय को पंजीकृत सोसायटी का समय समय पर [illegible] जायेगा ।

~~(2) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में~~ [illegible] निदेशक द्वारा नामित [illegible] होगा ।

(3) विद्यालय में कम से कम [illegible] प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिये आरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश [illegible] शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालय [illegible] निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

(4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और भविष्य में [illegible] माध्यमिक शिक्षा परिषद [illegible] शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद [illegible] इंडियन स्कूल [illegible] सर्टिफिकेट तथा [illegible] नई दिल्ली [illegible] परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त [illegible] राज्य सरकार से अनुदान [illegible]

(5) संस्था के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को [illegible] शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को [illegible] से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।

-2-

Manager
Shaiffali Public School
Dadri (Gautam Budh Nagar)

16। [illegible] की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य [illegible] उपलब्ध कराये जायेंगे।

17। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

18। विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

19। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि

11। विद्यालय के संचालन [illegible] का दैनिक स्वामित्व आगामी [illegible] प्राप्त कर [illegible] का पालन भी [illegible] कराये जायेगा।

12। विद्यालय हिन्दी माध्यम से संचालित किया जायेगा तथा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर हिन्दी माध्यम से सम्बद्धता प्राप्त की जायेगी।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(अशोक गांगुली)
संयुक्त सचिव।

पृ०सं० 1230(1)/15-7-1997 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक मेरठ।
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद।
4- निदेशक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ०प्र० लखनऊ।
5- प्रबन्धक, [illegible] पब्लिक स्कूल रेलवे रोड दादरी, गाजियाबाद।

आज्ञा से,

(अशोक गांगुली)
संयुक्त सचिव।